# गांव पंचायतों की संयुक्त समितियों

द्वारा

संचालित

# पंचायत उद्योगों

की

# नियमावली

श्री अमीर हसन, आई०ए० एस०, निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश
की ओर से श्री बी० पी० पाल, प्रकाशन अधिकारी, द्वारा सम्पादित।

# अपनी बात

गाँव सभाओं के आर्थिक साधन बढ़ानेआदि के लिए पंचायत राज अधिनियम की धारा ३० में संयुक्त समिति के गठन की व्यवस्था की गयी है। इसकी उप धारा (१) के अनुसार ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जांय, दो या अधिक गाँव सभायें किसी ऐसे कार्य को करने के लिए, जिनमें वे संयुक्त रूप से अभिरुचि रखती हों, अपने प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति की नियुक्ति करने हेतु लिखित विलेख द्वारा एक में सम्मिलित हो सकती है, और (क) ऐसी शर्तों के साथ जिन्हें वे आरोपित करना उचित समझें, उस समिति को ऐसी प्रत्येक गाँव सभा पर बन्धनकारी कोई योजना बनाने के लिए, जो किसी सम्मिलित निर्माण कार्य के निर्माण तथा रख-रखाव के सम्बन्ध में हो और जो किसी ऐसी योजना के सम्बन्ध में उक्त किसी सभा द्वारा काम में लाये जाने वाले अधिकार के सम्बन्ध में हों, अधिकार सौंप सकती हैं। (ख) ऐसी समिति के बने रहने, उस समिति के सदस्यों की पदावधि और कार्यवाही तथा पत्र व्यवहार करने की पद्धति के संबन्ध में नियम बना सकती है या उनको परिष्कृत कर सकती हैं। इस धारा के अन्तर्गत संयुक्त समिति बनाने के नियम, पंचायत राज नियम संख्या ५३ से ५६ तक में दिए गए हैं।

पंचायत राज अधिनियम की धारा ३० तथा नियम ५३ से ५६ के अनुसार प्रदेश में गाँव सभाओं द्वारा संयुक्त समितियाँ गठित की गयी हैं और इन संयुक्त समितियों ने पंचायत राज नियम संख्या ५३ से ५६ तक की व्यवस्थाओं के अनुसार अपनी नियमावली बनायी है। संयुक्त समितियों द्वारा संचालित पंचायत उद्योगों के कार्यों तथा प्रशासन आदि में एकरूपता बनाऐ रखने के लिए पंचायत राज विभाग के स्तर से एक नियमावली तैयार की गयी थी, जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कतिपय संशोधन करके प्रकाशित कर उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे आशा हैं कि इस नियमावली के आधार पर प्रदेश में संगठित पंचायत उद्योगों की सभी संयुक्त समितियाँ अपना कार्य एवम् व्यवस्था सुचारु रूप से चलाकर औद्योगिक विकास में कीर्तिमान स्थापित कर सकेंगी।

*अमीर हसन*
आई०ए०एस०
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

दिसम्बर, १९८४

# पंचायत उद्योग संयुक्त समिति नियमावली

गांव सभाओं की संयुक्त समितियों के गठन की व्यवस्था पंचायत राज अधिनियम की धारा ३० में दी गयी है और संयुक्त समिति की नियमावली बनाने की व्यवस्था आदि से संबंधित प्राविधान पंचायत राज नियम स० ५३ से ५६ तक उल्लिखित है। पंचायत राज अधिनियम तथा नियम की इन व्यवस्थाओं के अनुसार प्रदेश में गांव सभाओं की संयुक्त समितियों द्वारा चलाये जा रहे पंचायत उद्योगों के लिए जो नियमावली बनाई गई है, वह नीचे उद्धृत की जा रही है। नियमावली में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार यथावश्यक संशोधन भी कर दिये गये हैं, जिससे पंचायत उद्योग अपना प्रबन्धकीय तथा व्यापारिक कार्य सुगमता से चला सकें। इस नियमावली के अनुसार सभी पंचायत उद्योगों में कार्य किया जायेगा और संयुक्त समितियों की बैठकें करके नियमावली में किये गये संशोधनों को पारित कराकर नियम ५३ से ५६ के लिए निर्धारित अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

## संयुक्त समिति पंचायत उद्योग नियमावली

१. संयुक्त समिति की स्थापना—

इस नियमावली में पंचायत उद्योगों की स्थापना, कार्य प्रणाली, प्रशासनिक व प्रबन्धकीय व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या की गयी है।

पंचायत राज अधिनियम की धारा ३० के अन्तर्गत एक लिखित विलेख के द्वारा गांव सभा .....ने संयुक्त समिति का निर्माण किया है। संयुक्त समिति का कार्य पंचायत उद्योग जो कि उपरोक्त वर्णित ग्राम सभाओं के द्वारा चलाया गया

है, का प्रबन्ध करना है। लिखित विलेख के प्रस्ताव ५ में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए संयुक्त समिति उद्योग के चलाने के लिए निम्न-लिखित नियम बनाती है :—

२. नाम व पता— संयुक्त समिति के द्वारा संचालित संस्था का नाम पंचायत उद्योग होगा। इसका मुख्य कार्यालय ..... डाकखाना..... ..... जिला.....में होगा।

संयुक्त समिति की एक सामान्य मुहर होगी, उसको हर प्रकार की सम्पत्ति क्रय करने, दान में प्राप्त करने, अधिकार में रखने, उसका स्थानान्तरण करने, उसके संबंध में संविदा करने, कर्जा तथा अमानत लेने, उस पर ब्याज की दर निश्चित करने तथा वापसी करने का अधिकार होगा। वह पंचायत उद्योग के नाम से मुकदमा कर सकेगी और उस पर मुकदमा दायर किया जा सकेगा। मुहर का स्वरूप जैसा कि निदेशक, पंचायत राज द्वारा निर्देशित किया जाय, होगा।

३. कार्य क्षेत्र— यह अपना कार्य सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश तथा भारत के किसी भी भाग में कर सकेगी और इसका बना हुआ सामान सभी स्थानों पर भेजा जा सकेगा।

४. उद्देश्य— (१) ग्रामीण बेरोजगार कारीगरों व श्रमिकों आदि को रोजगार के अवसर देना।

(२) व्यक्तिगत स्वामित्व व ठेकेदारी के स्थान पर

पंचायतों के सामूहिक संगठन द्वारा लाभप्रद सृजनात्मक कार्यों को सम्पादित कराना।

(३) पंचायतों को लाभप्रद, जनोपयोगी कार्यों में धन लगाने के लिए अवसर प्रदान करना जिनसे उनकी आय के साधनों में वृद्धि हो सके।

(४) औद्योगिक विकेन्द्रीकरण के द्वारा प्राविधिक तथा वैज्ञानिक विकास की जानकारी गांव तक पहुंचाना।

(५) ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए जनसंगठन तैयार करना।

(६) पंचायतों के लाँभार्थ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना।

५. संयुक्त समितियों द्वारा स्थापित पंचायत उद्योग द्वारा किये जाने वाले कार्य—

(१) जनोपयोगी, आवासीय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी आदि वस्तुओं का निर्माण व विक्रय करना।

(२) कृषि उत्पादन से सम्बन्धित रसायनिकों, कृषि यन्त्रों आदि के निर्माण, विक्रय अथवा उनको उपलब्ध कराने के लिए एजेन्ट के रूप में कार्य करना।

(३) अन्य ऐसे कार्य करना जो पंचायतोंके लिए सुलभ, उपयुक्त तथा लाभकारी हों।

प्रतिबन्ध यह है कि समिति उन्हीं परियोजनाओं को चला सकेगी जिसकी पूर्व स्वीकृति

निदेशक, पंचायत राज से ली गयी है।

६. सदस्यता— जनपद की गांव सभाएं अंश खरीदकर सदस्यता प्राप्त कर सकती हैं।

प्रतिबन्ध (१) सदस्यता प्राप्त करने सेपूर्व गांव भसा को लिखित विलेख के द्वारा संयुक्त समिति का सदस्य होना पड़ेगा।

(२) यदि गांव सभा विकास खण्ड के बाहर सदस्यता ग्रहण करना चाहती है, तो उसे जिला पंचायत राज अधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

७. अंशपूंजी— प्रत्येक उद्योग इकाई का एक अंश २५० रुपये का होगा। गांव सभा आर्थिक स्थिति के अनुसार क्रय कर सकेगी।

८. प्रबन्ध व्यवस्था— (१) संयुक्त समिति की आम सभा :

संयुक्त समिति की एक आम सभा होगी जिसे आम सभा कहा जायेगा। प्रत्येक सदस्य गांव सभा अपना एक प्रतिनिधि संयुक्त समिति मे भेजेगी और जो आम सभा का सदस्य होगा तथा अंशों की संख्या १ से अधिक होने पर भी गांव सभा का एक ही मत माना जायेगा। इस आम सभा की वार्षिक बैठक मई-जून मास के मध्य प्रत्येक वर्ष की जायेगी। सभा की असाधारण बैठक कम से कम एक तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर अध्यक्ष के द्वारा एक महीने के अन्दर बुलाई जायेगी। असा-

धारण बैठक अध्यक्ष के द्वारा भी किसी भी समय बुलाई जा सकती है। यदि अध्यक्ष बैठक बुलाने मे असफल होते हैं तो आम सभा की बैठक निर्धारित अधिकारी (डी० पी० आर० ओ०) द्वारा बुलाई जायेगी।

(२) बैठक की सूचना तथा कार्यक्रम :

युक्त समिति की सामान्य सभा की बैठक की सूचना तथा एजेन्डा सदस्यों को मीटिंग की तिथि से १५ दिवस पूर्व लिखित रूप में भेजा जायेगा।

(३) बैठक का कोरम :

आम सभा के लिए कुल सदस्यों के एक बटे चार कोरम की आवश्यकता होगी। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक के लिए किसी भी कोरम की आवश्यकता न होगी। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि स्थगित बैठक में प्रबन्ध समिति के सदस्यों की संख्या के समकक्ष उपस्थिति अनिवार्य है।

संयुक्त समिति के पदाधिकारी—

संयुक्त समिति के सामान्य सभा के निम्न पदाधिकारी होंगे :—

(१) अध्यक्ष
(२) उपाध्यक्ष
(३) मंत्री

(क) प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त समिति का मंत्री राजकीय कर्मचारी या उद्योग समिति द्वारा

चयनित व्यक्ति जिसकी स्वीकृति निदेशक, पंचायत राज द्वारा दी जाय, संयुक्त समिति का मंत्री होगा ।

(ख) संयुक्त समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों में से ही गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जायेगा ।

(ग) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अभाव में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षका कार्य कर सकेगा । अथवा निदेशक पंचायत राज द्वारा नामित अधिकारी भी अध्यक्ष हो सकेगा ।

(४) कार्यकाल :

संयुक्त समिति के लिए गांव पंचायतद्वारा मनोनीत सदस्य का कार्यकाल वही होगा जो कि संयुक्त समिति का है । परन्तु गांव पंचायत एक वर्ष के बाद अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सकती है और उसके स्थान पर दूसरा प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है ।

संयुक्त समिति का कार्यकाल गांव पंचायत के कार्यकाल के अनुरूप होगा । संयुक्त समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल २ वर्ष का होगा ।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को एक वर्ष के उपरान्त २/३ के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकेगा । अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया वही होगी, जो गाँव सभा प्रधान के लिए अपनाई जाती है ।

१०. संयुक्त समिति का कार्य—

(क) प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना।

(ख) वार्षिक हिसाब-किताब पर विचार करना तथा अनुमोदन देना।

(ग) पंचायत उद्योग की स्थापना की नीति निर्धारित करना।

(घ) नियमों व उपनियमों की स्वीकृति व संशोधन पर विचार करना।

(च) अन्य ऐसे कार्य जो नियमों, आदेशों के द्वारा राज्य सरकार या निदेशक, पंचायत राज द्वारा सौंपे जांय।

११. प्रबन्ध समिति—

संयुक्त समिति पंचायत उद्योगों के कार्यों के संचालन, मार्ग दर्शन, नियंत्रण, निरीक्षण आदि के लिए एक प्रबन्ध समिति संगठित करेगी जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :—

(१) प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी :—

(क) अध्यक्ष—संयुक्त समिति की आम सभा का अध्यक्ष प्रबन्ध समिति का भी अध्यक्ष होगा।

(ख) उपाध्यक्ष—संयुक्त समिति की आम सभा का उपाध्यक्ष ही प्रबन्ध समिति का उपाध्यक्ष होगा।

(ग) मंत्री—संयुक्त समिति की आम सभा का मंत्री ही प्रबन्ध समिति का मंत्री होगा।

(घ) सदस्य—संयुक्त समिति द्वारा अपने सदस्यो में से चुने गये ५ सदस्य प्रबन्ध समिति के सदस्य

होंगे ।

(ङ) जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा नामित पंचायत उद्योगों के कार्यों में विशेष जानकारी रखने वाले दो प्राविधिक अधिकारी/कर्मचारी प्रबन्ध समिति के सहयोजित सदस्य होंगे जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त न होगा ।

(च) यदि संयुक्त समिति के सदस्यों की संख्या ७ तक रहती है, तो संयुक्त समिति ही प्रबन्ध समिति का कार्य करेगी ।

(२) प्रबन्ध समिति का कार्यकाल :—

संयुक्त समिति में सदस्यों की संख्या ७ से अधिक होने पर प्रबन्ध समिति के लिए चुने गये सदस्यों का कार्यकाल २ वर्ष का होगा । आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त समिति बहुमत द्वारा एक वर्ष के उपरान्त प्रबन्ध समिति को भंग कर नये सिरे से संगठित कर सकेगी ।

(३) प्रबन्ध समिति की बैठक :—

प्रबन्ध समिति की बैठक एक निश्चित समय तथा स्थान पर त्रैमास में एक बार हुआ करेगी । बैठक की कार्यवाही संचालन के लिए कुल सदस्यों की संख्या में से आधे सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी । स्थगित बैठक के लिए कुल सदस्यों के एक तिहाई भाग के कोरम की आवश्यकता होगी ।

(४) बैठक की सूचना :—

प्रबन्ध समिति की बैठक की सूचना सदस्यों

को ७ दिन पूर्व लिखित रूप में दी जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर तात्कालिक अवश्यकता के अनुसार सदस्यों पर एजेण्डा तामील हो जाने की दशा में उक्त समय का प्रतिवन्ध न होगा।

५—प्रवन्ध समिति के कार्य :—

(१) पंचायत उद्योगों से सम्बंधित समस्त कार्य प्रबन्ध समिति की बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसार किया जायेगा।

(२) प्रत्येक त्रैमास की बैठक में पंचायत उद्योग का हिसाब समिति की स्वीकृति के लिए रखा जायेगा।

(३) आकस्मिक व्यय की पूर्व/कार्योत्तर की स्वीकृति देना।

(४) पंचायत उद्योग के व्यय पर नियुक्त किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करना।

(५) पंचायत उद्योग के निरीक्षण तथा आडिट रिपोर्ट पर विचार करके परिपालन आदि की आवश्यक कार्यवाही करना।

(६) नियमानुसार आम सभा की बैठक बुलाने के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना।

(७) पंचायत उद्योगों के लिए (मंत्री को छोड़कर) मंत्री/व्यवस्थापक द्वारा नियुक्ति कर्मचारियों को बर्खास्त करने, हटाने, मुअत्तिल

करने या अन्य कोई दण्ड देने पर अपील सुनना तथा निर्णय देना ।

प्रतिबन्ध यह है कि पंचायत उद्योग में मंत्री को छोड़कर जो भी कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे, उनके लिए एक चयन समिति गठित करके चयन किया जायेगा और पंचायत उद्योग में नियुक्ति के लिए वही कर्मचारी चयन किये जायेंगे, जिनका नाम जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो। पंचायत उद्योग में नियुक्त के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची निदेशक, पंचायत राज को भी सूचनार्थ भेजी जावेगी। पंचायत उद्योग के कार्य को बढ़ावा देने के लिए संविदा द्वारा नियुक्त किये गये कमीशन एजेन्टों आदि की नियुक्ति के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा ।

(८) पंचायत उद्योग के लिए भवन निर्माण, कार्यशाला निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करना, खरीदना या लीज पर लेना तथा भवनों का निर्माण और प्रदर्शन कक्ष व भण्डारन व कार्यशाला हेतु भवन किराये पर लेना ।

(९) पंचायत उद्योग के लिए कर्ज और अमानतों का लिया जाना और उनकी ब्याज की दर नियत करना। तथा अग्रिम धन की सीमा निर्धारित करना जो व्यवस्थापक/मंत्री द्वारा रक्खी जायेगी ।

(१०) लाभ को धनराशि में से नियमों के अनुसार व्यय करना ।

(११) प्रबन्ध समिति का कार्य चलाने के लिए नियम और उप नियम बनाना परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम और उप नियम निदेशक, पंचायत राज की पूर्व अनुमति से ही लागू किये जा सकेंगे ।

(१२) अध्यक्ष या मंत्री या प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य को अपने ऐसे अधिकार देना जो आवश्यक समझे जांय ।

(१३) समिति को मुकदमा चलाने और राजीनामा करने का अधिकार होगा ।

(१४) ऐसा कोई भी कार्य करना जिसके लिए राज्य सरकार, संयुक्त समिति अथवा निदेशक, पंचायत राज ने आदेश दिया हो ।

(१५) उत्पादित वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करना तथा उसमें १० प्रतिशत तक लाभांश निर्धारित करना । प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष जिला परिषद की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा जिन वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जायेगा, उन वस्तुओं का मूल्य यह समिति निर्धारित नहीं करेगी और जिला क्रय समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही वस्तुओं की आपूर्ति का निर्णय लेगी ।

१२. मंत्री/व्यवस्थापक के कर्तव्य एवं अधिकार—

(१) निर्धारित प्रपत्रों, रजिस्टरों आदि को नित्य प्रति तैयार करना।

(२) सभी रसीदों, बिलों और अन्य कागजों को तैयार करना जो नियम अथवा उप नियम या समिति के आदेश के अनुसार तैयार होगें।

(३) समिति की ओर से पत्र व्यवहार करना तथा हस्ताक्षर करना और आदेशों का पालन करना।

(४) सदस्य गांव सभाओं में लाभांश के वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(५) सामान्य सभा की वार्षिक बैठक तथा प्रबन्ध समिति की त्रैमासिक बैठक की सूचना भेजना और उसमें उपस्थित रहना।

(६) सामान्य सभा तथा प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्यवाही लिखना और निर्णयों को परिपालित करना।

(७) सामयिक सूचनायें तैयार करना और भेजना।

(८) पंचायत उद्योग की किताबों में दिये गये इन्दराजों की नकलों को प्रमाणित करना।

(९) उद्योग से सम्बन्धित क्रय किये गये सामान पर नियंत्रण रखना और उद्योग से बिके हुए सामान की धनराशि का ठीक-ठीक हिसाब रखना।

(१०) उद्योग की लेनदारियों की वसूली करना ।

(११) उद्योग में नियुक्त किये गये कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखना, अवकाश देना तथा वेतन आदि भुगतान करना ।

(१२) उद्योग का खाता मंत्री/व्यवस्थापक के नाम से सहकारी बैंक या स्टेट बैंक में या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस मे खुलवाना तथा संचालित करना ।

(१३) निर्धारित अग्रिम धनराशि जो प्रबन्ध समिति द्वारा निश्चित की जाय, पास रखना और उससे निर्धारित रकमों के भुगतान करना तथा नकद धनराशि तिजोरी में सुरक्षित रखना ।

(१४) मंत्री किसी अधीनस्थ कर्मचारी को अग्रिम धन में से भुगतान कर सकता है ।

(१५) नियमानुसार पंचायत उद्योग केन्द्रों का गठन करना और उनके कार्य को बढ़ाना ।

(१६) नवीन योजनाओं के संचालन के लिए सर्वेक्षण करना तथा योजनायें तैयार करना ।

(१७) बिक्री के अनुरूप उत्पादन करना और किसी भी वस्तु का उत्पादन बिक्री से १० प्रतिशत से अधिक न बढ़ने देना ।

(१८) आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति की व्यवस्था करना । नियन्त्रित कच्चे माल के अतरिक्त

किसी भी कच्चे माल को १० प्रतिशत से अधिक न क्रय करना ।

(१९) वार्षिक उत्पादन योजना बनाना तथा उसके अनुरुप ही उत्पादन बिक्री का प्रबन्ध करना ।

(२०) पंचायत उद्योगों में जहां कैशियर भण्डार क्लिपिक नियुक्त किया गया है, वहां लेखे, स्टोर सम्बन्धी अभिलेख तथा कैश के रख रखाव का उत्तरदायित्व कैशियर स्टोरकीपर का होगा किन्तु कैशियर/स्टोरकीपर मंत्री के नियंत्रण में कार्य करेगा ।

(२१) निगमों, बैंकों अथवा अन्य वित्तीय स्रोतों से ऋण प्राप्त करना तथा उनकी किश्तों का समय से भुगतान सुनिश्चित करना ।

(२२) पंचायत राज विभाग की सहायता से समय-समय पर प्रबन्ध से सम्बन्धित कर्मचारियों, श्रमिकों तथा तकनीकी कर्मचारियों की दक्षता के लिये प्रशिक्षण का प्रबंन्ध करना तथा प्रशिक्षण देना ।

(२३) पंचायत उद्योग को एस०एस०आई० लघु उद्योग इकाई तथा सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करना ।

(२४) अन्य कार्य करना जो समिति, प्रबन्ध समिति अथवा राज्य सरकार एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्देशित किये जायें ।

१३. पूंजी— (१) प्रत्येक सदस्य ग्राम सभा से प्राप्त हिस्से की धनराशि।

(२) लाभांश में से रिजर्व फण्ड के लिए प्राप्त की गई १० प्रतिशत धनराशि।

(३) सरकारी या अन्य संस्थाओं से आर्थिक सहायता व ऋण से प्राप्त धनराशि।

(४) कर्जा और अमानतें।

(५) अन्य प्राप्तियां यदि कोई हो।

१४. उद्योग का आर्थिक वर्ष— पंचायत उद्योग का आर्थिक वर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक होगा।

१५. लाभ का वितरण— (१) एक वर्ष के संचालन के बाद संयुक्त समिति अपने सदस्य गांव सभाओं में मुनाफा उनके हिस्से के अनुपात से वितरित करेगी।

१६—रिजर्व फण्ड लाभ का १० प्रतिशत रिजर्व फण्ड में जमा होगा।

१७ ~~रिजर्व फण्ड~~ ऑडिट पंचायत उद्योग का आडिट वर्ष में एक बार किया जायेगा और आडिट का कार्य मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां और पंचायत के माध्यम से कराया जायेगा। निदेशक, पंचायत राज के अनुरोध पर मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायत, उद्योग के विशेष आडिट की व्यवस्था करेंगे। निदेशक पंचयत राज की बिना अनुमति के किसी भी पंचायत उद्योग का विशेष आडिट नहीं किया जायेगा। निदेशक,

पंचायत राज के आदेशों से अन्य आन्तरिक व्यवस्था।

१८. कोष का हिसाब किताब— समिति के कोष का हिसाब-किताब निर्धारित कोष बही बन्द करना होगा और महीने के अन्त में बैलेन्स निकालना होगा। कोषबही के प्रत्येक अंकनों पर मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

१९. भुगतान— पंचायत उद्योग में समस्त भुगतान मंत्री द्वारा किये जायेंगे। मंत्री २,००० रुपये तक के भुगतान नकद कर सकेंगे और इससे ऊपर की धनराशि का भुगतान क्रास चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही किया जायेगा।

२०. निरीक्षण— पंचायत उद्योग का निरीक्षण करने का अधिकार निम्नलिखित को होगा।

(क) निदेशक, पंचायत राज, संयुक्त निदेशक, पंचायत राज, उप निदेशक (प्रशासन) पंचायत राज, उप निदेशक (पंचायत), सहायक निदेशक, प्रकाशन अधिकारी या पंचायत राज निदेशालय में समय-समय नियुक्त किये गये अन्य अधिकारी अथवा निदेशक, पंचायत राज या शासन द्वारा निरीक्षण के लिए अधिकृत अधिकारी।

(ख) जिला पंचायत राज अधिकारी तथा सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी)।

(ग) संयुक्त समिति तथा प्रबन्ध समिति का पदाधिकारी अथवा कोई भी सदस्य।

पचायत उद्योगों के लेखा अभिलेखों का रख रखाव विभाग द्वारा निर्धारित लेखा प्रकिया के अनुसार होगा। इस नियमावली में लेखा अभिलेखों एवं वित्तीय प्राविधानों के अन्यथा होने पर लेखा निर्देश इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

विवादों का निपटारा

इन नियमों तथा उप नियमों के संबंध में और पंचायत उद्योग के कारोबार के संबंध में सदस्यों के बीच या प्रबन्ध समिति या किसी सदस्य के बीच विवाद होने पर उसके फैसले के लिए समिति द्वारा मनोनीत व्यक्ति या निदेशक, पंचायत राज द्वारा नियुक्त अधिकारी विवाद निस्तारण के लिए सक्षम होगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा, जो किसी न्यायालय में वाद ग्रस्त न हो सकेगा।

उद्योगों की सम्पत्ति सुरक्षा—

संयुक्त समिति अथवा प्रबन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य मंत्री। व्यवस्थापक अथवा कर्मचारी पंचायत उद्योग के धन अथवा सम्पत्ति की बरबादी के प्रति उत्तरदायी होगा। यदि किसी क्षति, बरबादी दुरुपयोग, उसकी अपेक्षा अथवा दुराचार का जबकि वह संयुक्त समिति या प्रबन्ध समिति का सदस्य मंत्री या कर्मचारी रहा हो, प्रत्यक्ष परिणाम हो, तो निदेशक, पंचायत राज द्वारा आवश्यक जांच के उपरान्त क्षति की पूर्ति की धनराशि निश्चित कर धन वसूल करने की कार्यवाही के आदेश दिये जा सकेंगे।

संशोधन—

नियमावली में संशोधन तथा परिवर्द्धन आदि के प्रस्ताव पंचायत उद्योग की संयुक्त समितियों द्वारा पारित करके जिला पंचायत राज अधिकारी

की संस्तुति के साथ निदेशक, पंचायत राज के अनुमोदन के लिए भेजे जायेंगे और निदेशक के अनुमोदन के उपरान्त ही संशोधन । परिवर्द्धन कार्यान्वित किये जा सकेंगे । इस नियमावली में दिये गये नियमों के विपरीत नियम बनाने के अधिकार संयुक्त समितियों को नहीं होगा और निदेशक, पंचायत राज की पूर्व अनुमति से ही व्यवसायिक कार्य के हित में संशोधन की अनुमति दी जा सकेगी ।

## पंचायत राज्य अधिनियम की धारा ३० के अन्तर्गत संयुक्त समिति निर्माण करने का विलेख

निम्न शर्तों के साथ गांव सभा का पूरा पता.....

.....प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक.....द्वारा लिखित विलेख पारित करती है।

संयुक्त समिति को पंचायत उद्योग के संचालन का निम्न प्रतिबन्धों के साथ सम्पूर्ण अधिकार होगा।

(१) प्रत्येक गांव पंचायत का एक प्रतिनिधि पंचायत उद्योग की संयुक्त समिति में होगा।

(२) गांव पंचायत से भेजे गये प्रतिनिधि का कार्यकाल वही होगा जो कि संयुक्त समिति का है। परन्तु गांव पंचायत एक वर्ष के बाद अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सकती है और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति नियुक्त कर सकती है।

(३) संयुक्त समिति का कार्यकाल गांव पंचायत के कार्यकाल के अनुरूप होगा।

(४) संयुक्त समिति की एक सामान्य मुहर होगी। उसको हर प्रकार की सम्पत्ति क्रय करने, दान में प्राप्त करने, अधिकार में रखने उसका स्थानान्तरण करने, उसके सम्बन्ध में मुहायदा करने, कर्जा तथा अमानत लेने, कर्जा की दर निश्चित करने तथा उनको वापसी करने का अधिकार होगा। वह पंचायत उद्योग के नाम से मुकदमा कर सकती है और उस पर मुकदमा दायर किया जा सकता है।

(५) संयुक्त समिति को उद्योग के संगठन, संचालन, हिसाब-किताब के रख-रखाव, सम्पत्ति की सुरक्षा तथा नीति संबंधी नियम बनाने का अधिकार होगा ।

(६) संयुक्त समिति द्वारा कार्य प्रगति विवरण प्रत्येक सदस्य गांव पंचायत को त्रैमासिक तथा ग्राम सभा को षटमासिक उसकी खरीफ तथा रबी बैठकों के होने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा ।

(७) संयुक्त समिति का प्रत्येक सदस्य पंचायत उद्योग के धन अथवा सम्पत्ति की क्षति या बर्बादी के प्रति उत्तरदायी होगा । यदि क्षति, बर्बादी अथवा दुरुपयोग उसकी उपेक्षा अथवा दुराचार का, जबकि वह संयुक्त समिति का सदस्य रहा हो, प्रत्यक्ष परिणाम हो तो निदेशक पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश की पूर्व स्वीकृति से संयुक्त समिति द्वारा उसके विरुद्ध दीवानी का मुकदमा दायर किया जा सकता है । उल्लिखित दीवानी का मुकदमा राज्य सरकार स्वतः भी दायर कर सकती है ।

(८) प्रत्येक पंचायत का उसके हिस्से की पूंजी के अनुपात से उद्योग के लाभ और हानि में हिस्सा होगा ।

(९) विकास खंड की अथवा अन्य विकास खण्डो की गांव सभाएं को संयुक्त समिति में सम्मिलित होना चाहें, लिखित विलेख तथा संयुक्त समिति द्वारा बने नियमों का पालन करते हुये, हो सकती ।

(१०) गांव सभा.....विकास खंड.....

तहसील.....जिला.....

प्रस्ताव संख्या.....दिनांक.....के द्वारा

श्री.....प्रधान को संयुक्त समिति निर्माण करने के विलेख को पारित करने का अधिकार देती है।

दिनांक..... हस्ताक्षर ..... .....

साक्षी, १..... वास्ते गांव सभा.....

२..... सील

## संयुक्त समिति पंचायत उद्योग में सम्मिलित होने के लिए गाँव सभा के प्रस्ताव का रुप पत्र

(१) पंचायत उद्योग के संचालन के लिये पंचायत राज अधिनियम की धारा ३० के अन्तर्गत समिति निर्माण करने के लिखित विलेख का विवरण पढ़कर सुनाया गया। गांव सभा इसमें दिये गए सभी प्रतिबंधों को स्वीकार करती है। गांव सभाप्रधान श्री..... को अधिकृत करती है कि वह लिखत विलेख को पारित करें।

(२) श्री.....ने प्रस्ताव रक्खा कि गांव सभा पंचायत उद्योग के.....हिस्से जिनका मूल्य..... रुपया होता है, क्रय करें जिससे कि गाँव सभा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दे सकें तथा अपनी पूंजी को लाभप्रद कार्यों में लगा सकें।

श्री..... द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया सर्व सम्मति से/बहुमत से निर्णय हुआ कि गांव सभा..... .....रुपये के मूल्य के हिस्से क्रय करें।

(३) श्री.....ने प्रस्ताव रक्खा कि उद्योग की संयुक्त समिति का सदस्य श्री.....को बनाया जावे, जिसका अनुमोदन श्री.....द्वारा किया। प्रस्ताव सर्व सम्मति/बहुमत से स्वीकृत हुआ।

## पंचायत उद्योग स्थापित करने के लिये निर्देश

गांव पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग स्थापित कराने और उनका धन लाभप्रद कार्यों में लगाने के लिए पंचायत उद्योग एक प्रयास है और इनको स्थापित करने के पूर्व कार्य कर्ताओं का ध्यान निम्न बातों की ओर दिलाया गया है:—

(१) विकास अन्वेषणालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका पंचायत उद्योग "ए० केस स्टडी" तथा "पंचायत उद्योग सम्बन्धी" बने नियमों का अध्ययन किया जावे।

(२) गांव सभा की बैठक में पंचायत उद्योगों के उद्देश्यों से अधिक से अधिक व्यक्तियों को परिचित कराया जाय और गांव सभाओं को उद्योग का हिस्सा खरीदने के लिए "एक हिस्सा २५०/- रु० का होता है" प्रेरित किया जाय।

(३) सभी पंचायत उद्योगों को एस० एस० आई० इकाई के रूप में अन्य इकाईयों की भांति नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण कराकर तुरन्त रजिस्टर्ड कराया जाय।

(४) किस क्षेत्र में क्या उद्योग चल सकता है और उनकी मांग और खपत क्या है, अथवा बाजार का ट्रेन्ड क्या है, को दृष्टिगत करते हुए योजनायें बनाई जांय।

(५) इन उद्योगों के उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए जो योजनायें उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जैसे हायर परचेज पर मशीन दिलवाना, पावर सब्सीडी दिलवाना, फैक्ट्री बनवाने के लिए आर्थिक सहायता दिलवाना एवं निर्माण सामग्री जिसमें लोहा सीमेंट आदि आते हैं, का प्रबन्ध करवायें।

(६) इन उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं के प्रचार के लिए जिले में होने वाली प्रदर्शनी में प्रदर्शन कक्ष "शो रुम" की व्यवस्था करवायें।

(७) अपने जिले के अध्यक्ष, जिला परिषद, चीफ मेडिकल आफीसर, जिला कृषि अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक से मिलकर प्राईमरी स्कूलों, प्राईमरी हैल्थ युनिटों, बीज गोदामों एवं कालेजों आदि की मांग के अनुसार क्रय किये जाने वाले फर्नीचर आदि की सप्लाई पंचायत उद्योगों के माध्यम से पंचायतराज अधिकारी करावें।

श्री अमीर हसन, आई० ए० एस०, निदेशक, पंचायती राज की ओर से श्री बी०पी० पाल, प्रकाशन अधिकारी, द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, प्रिंटिंग प्रेस, बी-77, निराला नगर, लखनऊ द्वारा मुद्रित ।

दिसम्बर, 1984–5000 प्रतियां